

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय: पुणे-III
41/ए; आई सी ई हाउस; ससून रोड; वाडिया कालेज के सामने; पुणे-411 001

व्यापार सूचना संख्या- 9 / 2011

विषय: Clarification on issues pertaining to the levy of excise duty on branded readymade garments and made-up articles of textiles.

भारत सरकार; वित्त मंत्रालय; राजस्व विभाग; सी बी इ सी; नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्रों की प्रतियां जिसका उल्लेख नीचे किया गया है; संलग्न हैं:-

फाईल संख्या	सर्कुलर संख्या	दिनांक
B-1/2/2011-TRU	947/08/2011/CX	21/06/2011

सभी व्यापार संगठनों तथा वाणिज्य और उद्योग मंडलों से अनुरोध किया जाता है कि इस व्यापार सूचना के साथ जोड़े गये परिपत्रों में निहित बातों की जानकारी अपने-अपने घटक सदस्यों के ध्यान में लाने का कष्ट करें।

बी एस वासुदेव

(बी. एस. वासुदेव)
आयुक्त

केंद्रीय उत्पाद शुल्क पुणे-III

संलग्न: यथोपरि

फा. संख्या: बी जी एन (30)80/ट्रेड नोटिस/2010
पुणे दिनांक: जुलाई, 2011

- सचिव, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड कार्यालय.
- उपसचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली.
- महानिदेशक, निरीक्षण महानिदेशालय, सी तथा कें उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली.
- मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, पुणे क्षेत्र
- मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय बोर्ड कार्यालय, नई दिल्ली
- सहायक आयुक्त, निरीक्षण अधिकारी, पश्चिम क्षेत्रिय युनिट, मुंबई.
- सहायक निदेशक, शुल्क अपवंचन रोधी क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे.
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व लेखा परीक्षण कार्यालय, मुंबई.
- सेन्टेक्स पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड, 1512 बी, भीषम पितामह मार्ग, नई दिल्ली.
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क बार एसोसिएशन कार्यालय, मुंबई.
- पुणे-III आयुक्तालय में क्षेत्रिय सलाहकार समिति तथा लोक शिकायत निवारण समिति के सभी सदस्य.
- पुणे-III आयुक्तालय में सभी व्यापार एसोसिएशन/वाणिज्य तथा उद्योग मंडल.
- मुख्यालय पुणे-III कार्यालय के सभी अपर आयुक्त.
- मुख्यालय में सभी उप आयुक्त.
- मुख्यालय कार्यालय पुणे में सभी सहायक आयुक्त/अधीक्षक/श्रेणी 'क' तथा 'ख' अधिकारी /मुख्यालय कार्यालय, तकनीकी शाखा के अनुभाग प्रमुख.
- पुणे-III आयुक्तालय के अधिनस्थ सभी मंडल कार्यालय

Manali
for updating the website
14/7/11

48
08/7/11

Circular No. 94776/2011-CX

F.No.B-1/2/2011-TRU
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Tax Research Unit

आवक
- 6 2011
2169
प्रशासन शाखा

New Delhi dated the 21st June, 2011.

Impact (T)
T.N. is to be issued.
Let it be. 10/7/11
J.C.

आवक
- 6 2011
2314
Tech

To
All Chief Commissioners of Central Excise
All Chief Commissioners of Customs & Central Excise.
All Commissioners of Central Excise
All Commissioners of Customs & Central Excise.
All Directors General

Subject: Clarification on issues pertaining to the levy of excise duty on branded readymade garments and made-up articles of textiles— regarding.

Sir / Madam,

Board has received representations from trade and industry seeking clarification on certain issues pertaining to the levy of excise duty on readymade garments/made-ups that either bear or are sold under a brand name. These issues are:-

- (i) applicability of the mandatory levy of excise duty on school uniforms, uniforms for private security guards, companies, hotels, airlines etc and made-ups such as linens, towels etc bearing the name or logo of a hotel, restaurant or airlines etc; and
- (ii) applicability of mandatory levy of excise duty on made-ups such as blankets bearing the name of the manufacturer and supplied to the Ministry of Defence or its organisations

2. The matter has been examined. On the issue of applicability of excise duty on uniforms or made-up articles like quilt, blankets, towels, linen etc bearing the name or logo of a school, security agency, company, hotel or airline etc., it is clarified that such products would not merit treatment as "branded" products merely because the name of the school, institution or company or their logo is either printed, embroidered or etched on them. This is equally true of made ups such as towels, linen etc bearing the name of a hotel, restaurant or

wg
Imp O
On file pt. Part up a TN.
10/7/11